स्मरण–पत्र/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग) विभाग

परिपत्र

विषयः राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में पूर्ण शुद्धता हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के मास्टर डेटा की जॉच कर भिजवाने के संबंध में।

संदर्भः वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र कमांकःएफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/ 3666-4165 दिनांक 13.09.2019 एवं दिनांक 13.12.2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग (EAD) की website पर उपलब्ध सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 13.09.2019 द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत वित्तीय संव्यवहारों/भुगतानों की प्रकिया में पूर्ण शुद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में **इस विभाग के परिपत्र दिनांक 16.01.2020** द्वारा कार्मिक (ग) विभाग से वेतन आहरित कर रहे शासन सचिवालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से **यह निवेदन किया गया था कि वे पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिक लॉगिन से अपना पूरा मास्टर डेटा विधिवत जॉच कर यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो** अपने पे–मैनेजर लॉगिन से प्रविष्टियों को update करते हुए संशोधन की **रिक्वेस्ट online आहरण वितरण अधिकारी को फॉरवार्ड करने का श्रम करें**। कार्मिक के बैंक खाता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई संशोधन है तो चैक/पास बुक की प्रति अपलोड़ कर रिक्वेस्ट डी0डी0ओ0 को फारवर्ड करें। वित्त विभाग के निर्देशों की समय पर पालनार्थ उक्त कार्यवाही **दिनांक 20.01.2020 तक** आवश्यक रूप से पूर्ण करने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पे–मैनेजर लॉगिन से प्रविष्टियों को update करते हुए संशोधन की **online रिक्वेस्ट आहरण वितरण अधिकारी को आदिनांक तक फॉरवार्ड नहीं किए जाने के कारण मास्टर डेटा को अधिकृत करने का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।**

वित्त (EAD) विभाग ने इन निर्देशों की **निरन्तरता में परिपत्र दिनांक 23.01.2020 के द्वारा** सभी आहरण वितरण अधिकारियों को अधिकारियों/कर्मचारियों के मास्टर डेटा की जॉच कर/शुद्ध इन्द्राज (नियोक्ता विभाग के अंकन एवं सर्विस कैटेगरी के शुद्ध अंकन के साथ) वेरीफाई कर संबंधित विभागाध्यक्षों को पे–मैनेजर पर फॉरवार्ड करने का कार्य **अनिवार्यतः दिनांक 28.02.2020** तक पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से **पुनः निवेदन** है कि वे अपने पे–मैनेजर लॉगिन से प्रविष्टियों को update करते हुए संशोधन की **रिक्वेस्ट online आहरण वितरण अधिकारी को दिनांक 10.02.2020 तक आवश्यक रूप से फॉरवार्ड करने का श्रम करें**। संशोधन **रिक्वेस्ट online** प्राप्त नहीं होने के कारण वेतन आहरण में होने वाली कठिनाई के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(हेमपुष्पा शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
शासन सचिवालय

कमांकःप.14(2)कार्मिक/ग–1/2013
जयपुर, दिनांकः 31-1-2020

प्रतिलिपि :–

1– श्री आई0डी0वरयानी, तकनीकी निदेशक, NIC, वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों के पे–मैनेजर लॉगिन में entry updation में आने वाली तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण कराने की व्यवस्था करावें।

2– ए0सी0पी0, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परिपत्र को आज ही कार्मिक विभाग की website पर upload कराने का श्रम करें।

3– नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय

वित्तीय सलाहकार